भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2190
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

महिलाओं के लिए कार्यक्रम

2190. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में महिलाओं के जीवन स्तर का उत्थान करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महिलाओं के जीवन सतर को ऊपर उठाने में उक्त सभी कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा, बलात्कार और चरित्र हनन की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): केंद्र सरकार देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता आधार पर बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, भारत एक नए भारत की परिकल्पना के साथ, महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व

वाले विकास में तेजी से परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जहां तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास के लिए महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में सबसे बड़ी उपलब्धि "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" (संविधान का एक सौ छठा संशोधन) के अधिनियमन से हुई, जिसमें लोक सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों का आरक्षण दिया गया है।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए चार श्रम संहिता- अर्थात संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से कार्यान्वित किया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है। सुधारों के हिस्से के रूप में, संहिताएं लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करती हैं, समान वेतन को अनिवार्य बनाती हैं, और महिलाओं के लिए भूमिगत खनन और भारी मशीनरी ड्यूटी, नाईट शिफ्ट सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हर समय काम करने का अवसर प्रदान करती हैं; बशर्ते महिलाएं इसके लिए पहले से सहमत हों एवं नियक्ताओं ने उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हों।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने और जीवन को आसान बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक परिवारों को महिलाओं के नाम पर स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक परिवारों को सुरक्षित और पेयजल के नल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बारहमासी पक्के मकान का प्रावधान करके 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना और साथ ही शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को भी आवास प्रदान करना है।

सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने किशोरियों के भविष्य में वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित किया है। समग्र शिक्षा, स्कूलों में किशोरियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत किफायती और गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान इत्यादि जैसी योजनाओं ने भी व्यवहारिक बदलावों की दिशा में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों में किशोरियों का नामांकन बढ़ा है।

आयुष्मान भारत के तहत, सरकार 1200 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है। इनमें से 141 से अधिक चिकित्सा पैकेज विशेष रूप से महिलाओं की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस योजना के तहत सात प्रकार की जांच (टीबी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुँह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मोतियाबिंद) सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे करोड़ों महिलाओं को लाभ हुआ है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 150,000 से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है जो स्वास्थ्य सेवा को समुदाय के करीब लाते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें गरीबों और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देश भर में 16,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) कार्यशील हैं। पीएमबीजेके में लगभग 40 महिला-विशिष्ट वस्तुओं के साथ-साथ किफायती दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अलावा 'सुविधा सैनेटरी नैपकिन्स' नामक सैनिटरी नैपकिन्स भी बेहद सस्ती कीमत अर्थात प्रति पैड 1 रुपये में उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) कार्यान्वित की गई हैं जिसका उद्देश्य बीमा कवरेज तथा पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है। इसी तरह, सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता

प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं और किशोरियों को रोजगार तथा उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में भी मदद की है।

केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) है, जिसके तहत लगभग 10 करोड़ सदस्यों वाले करीब 90 लाख महिला स्व-सहायता समूह, रोजगार/ स्वरोजगार से ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए *नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, बीमा सखी* जैसी महिला-विशिष्ट योजनाएं भी क्रियान्वित की हैं।

मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाएं रोजगार/स्वरोजगार के अवसर और ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं हैं।

भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद नीति के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदें।

भारत सशस्त्र बलों में बालिकाओं की भूमिका को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बल, सैनिक विद्यालयों में प्रवेश, एनडीए में बालिकाओं का प्रवेश इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए प्रावधान भी किए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ईएनएएम कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच है, साथ ही "किसान कॉल सेंटर" योजना किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में फोन पर उत्तर देती है, और किसान सुविधा, कृषि बाजार, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, उमंग (नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) जैसे मोबाइल एप्लिकेशन भी हैं। ये डिजिटल नवाचार महिलाओं को बाजारों तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उनकी भरपाई करने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना,

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि जैसी किसान कल्याणकारी योजनाएं महिला किसानों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में योगदान दे रही हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार कृषि विस्तार सेवाओं सहित उत्पादक संसाधनों तक महिला किसानों की पहुँच में सुधार कर रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार हो रहा है।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुधार करना है। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अधिनियमित किए हैं जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 में अलग–अलग दर्शित थे, को एक साथ लाया गया और अध्याय-V के तहत समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111, विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान को छुपाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेने, काम पर रखने या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95 शामिल हैं। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग करना (धारा 139) के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम दण्ड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के विरुद्ध अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत , यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन से संबंधित टिप्पणियां और एक महिला की शालीनता का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

बीएनएसएस पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर महिला अधिकारों की विधिक प्रक्रिया द्वारा रक्षा करता है। इसने महिलाओं के विरूद्ध जघन्य अपराधों का आसान पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ई-एफआईआर और जीरो–एफआईआर को आरम्भ किया है जिससे पुलिस कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त बीएनएसएस की धारा 398 में साक्षी संरक्षण योजना को आरम्भ किया है जो कि गवाहों को भय और

प्रताड़ना से रक्षा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करता है। बीएसए की धारा 2(1)(घ) अब ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकार्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज़, डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत संदेश और वॉयस मेल संदेश इत्यादि दस्तावेजों की परिभाषा के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए "शी-बॉक्स पोर्टल" नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म की व्यवस्था की है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में हो; से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार है। यह पोर्टल शिकायत दर्ज करने तथा ऐसी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक साझा मंच भी है। इस पोर्टल में यह सुविधा भी शामिल है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों की आईसी/एलसी को अग्रेषित हो जाएंगी। पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की तत्समय (रियल टाइम) निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचना को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है। दूरस्थ एवं यह पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध है ताकि सुदूर क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं इसका अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकें।

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक योजना "मिशन शक्ति" क्रियान्वित करता है। इस योजना के तहत, सरकार ने हिंसा का सामना कर रही महिलाओं या संकटग्रस्त महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं तथा टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 के साथ 24x7 महिला हेल्पलाइन भी आरम्भ की है जो जरूरतमंद महिलाओं को उपयुक्त अधिकारियों के साथ जोड़कर आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है ताकि वे इनका लाभ प्राप्त कर सकें। इस व्यापक योजना का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक, लिंग आधारित लैंगिक-चयन को रोकने के लिए है और लैंगिक समानता पर जागरूकता प्रसार करने और बाल विवाह को हतोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बीबीबीपी ने बालिकाओं को महत्व देने की दिशा में नागरिकों की मनोवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शक्ति

सदन का घटक दुर्व्यापार के पीड़ितों सहित संकटग्रस्त, बेसहारा और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की पीड़ित महिलाओं को सहायता और सहयोग प्रदान करता है। सखी निवास घटक कामकाजी महिलाओं और रोजगार और स्व-रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को बाल देखभाल सुविधाओं के साथ सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पालना घटक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर महिला सशक्तीकरण केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचना की कमी के मुद्दे का समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं।

भाषा को सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव के लिए एक मौलिक शक्ति के रूप में पहचानते हुए, एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करने के लिए, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकारा जाए, महत्व दिया जाए और सशक्त किया जाए। सरकार ने नवंबर 2023 में 'जेंडर-इनक्लूसिव कम्युनिकेशन' पर एक मार्गदर्शिका (गाइड) जारी की है, जिसका उद्देश्य गहरी जड़ें जमा चुकी भाषाई मान्यताओं को बदलना है ताकि भाषा में मौजूद गहरे पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण एवं रणनीति को बढ़ावा मिले और उन्हें स्थापित किया जा सके।

ये सभी उपाय मिलकर महिला सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, जो महिला वैज्ञानिक योजना, विज्ञान ज्योति योजना और ओवरसीज़ फैलोशिप योजना के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने तक भी विस्तृत है।

****